रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249688
CG-DL-E-26102023-249688

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2023/कार्तिक 3, 1945
No. 615] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023/KARTIKA 3, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 793(अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के साथ पठित धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माल और सेवा कर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्त) नियम, 2019 को उन बातों के, सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्त) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये नियम माल और सेवा कर अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ और राज्य न्यायपीठ के अध्यक्ष, तकनीकी सदस्य (केंद्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) के संबंध में लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन गठित खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से माल और सेवा कर अपील अधिकरण का तकनीकी (केंद्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) या न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(च) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 109 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वहीं अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

अध्याय 2

अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति

3. अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर चयन—

(1) समिति रिक्ति भरे जाने के लिए प्रस्तावित सदस्यों के ब्यौरों को देते हुए समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले उपांतरणों को करने के पश्चात् प्ररूप 1 में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए, सदस्य-सचिव के माध्यम से एक परिपत्र जारी करवा सकेगी,

(क) विद्यमान और भावी रिक्तियों की संख्या ;

(ख) अर्हताएं ;

(ग) वेतन और भत्ते ;

(घ) आवेदन का प्ररूप ; और

(ङ) आवेदन फाइल करने की अंतिम तारीख ।

(2) समिति परिपत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अर्हताओं के लिए संवीक्षा करेगी या संवीक्षा करना कारित करवाएगी और उतनी संख्या में वैयक्तिक बातचीत के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लघु सूची तैयार करेगी, जो वह ठीक समझे ।

(3) अध्यक्ष के पद के लिए समिति या तो रिक्ति परिपत्र को जारी करवाएगी और आवेदन मंगाएगी या नियुक्ति के लिए पात्र उपयुक्त व्यक्तियों की खोज करेगी, और अध्यक्ष के पद पर चयन के लिए निर्धारण करेगी ।

(4) समिति पात्र अभ्यर्थियों के समग्र निर्धारण के आधार पर, जिसके अंतर्गत उपयुक्तता, पिछले कार्य निष्पादन के अभिलेख, सत्यनिष्ठा के साथ अधिकरण की अपेक्षाओं के आलोक में न्यायनिर्णयन और अनुभव की ध्यान रखने के पश्चात वैयक्तिक बातचीत के माध्यम से अपनी सिफारिशें करेगी और प्रत्येक पद के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार चयन किया जा रहा है, दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

4. पुनर्नियुक्ति के लिए चयन—(1) पुनर्नियुक्ति के लिए किसी आवेदन पर मूल नियुक्ति की भांति रिक्ति परिपत्र के प्रत्युत्तर में सभी अन्य व्यक्तियों के आवेदनों के साथ उसी रीति में विचार किया जाएगा ।

(2) किसी पद पर उपयुक्तता के लिए अपना निर्धारण करते हुए समिति अधिकरण में अपने अनुभव के आधार पर पुनर्नियुक्ति की वांछा करने वाले व्यक्तियों को महत्व देगी और ऐसा करते समय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करते समय व्यक्ति के कार्य निष्पादन को गणना में लेगी ।

5. अध्यक्ष और सदस्यों की चिकित्सीय उपयुक्तता—(1) प्रधान न्यायपीठ के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (केंद्र) या अधिकरण के राज्य न्यायपीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में किसी व्यक्ति की तब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक वह इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त घोषित न कर दिया जाए ।

(2) अधिकरण के राज्य न्यायपीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में किसी व्यक्ति की तब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक वह इस निमित्त उस राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त घोषित न कर दिया जाए जिसमें उक्त पीठ अवस्थित है ।

6. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति—जब अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है या किसी संगठित सेवा का सेवारत सदस्य है तो वह अधिकरण में सम्मिलित होने से पूर्व या तो त्याग-पत्र देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अभिप्राप्त करेगा ।

अध्याय 3

अध्यक्ष या सदस्य को हटाना

7. शिकायतों की जांच के लिए प्रक्रिया—(1) जब केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (12) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी निश्चित आरोप का अभिकथन करते हुए अध्यक्ष या सदस्य की बाबत कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।

(2) जब प्रारंभिक संवीक्षा पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह संबंधित समिति को निर्देश करेगी ।

(3) उक्त समिति कोई जांच करेगी या किसी व्यक्ति द्वारा जांच संचालित करवाएगी, जो,--

(क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, जब जांच अध्यक्ष के विरुद्ध की जाती है ; या

(ख) उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति है या रहा है. जब जांच सदस्य के विरुद्ध की जाती है ।

(4) जांच अधिमानत: छह मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर पूरी की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) जांच के पूरा होने के पश्चात् समिति केंद्रीय सरकार को प्रत्येक आरोप के संबंध में पृथकत: अपने निष्कर्षों का उनके कारणों सहित कथन करते हुए संपूर्ण मामले पर अपने संप्रेक्षणों के साथ, जो वह ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(6) समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी किंतु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और उसे स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत जांच के लिए तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है ।

अध्याय 4

वेतन और भत्ते

8. वेतन—(1) अधिकरण के अध्यक्ष को प्रतिमास दो लाख पचास हजार रुपए (नियत) वेतन संदत्त किया जाएगा ।

(2) सदस्य को प्रतिमास दो लाख पच्चीस हजार रुपए वेतन संदत्त किया जाएगा ।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर, जो कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन से उसके द्वारा आहरित समग्र पेंशन की रकम को घटा दिया जाएगा ।

9. भत्ते—(1) अध्यक्ष और सदस्य समान वेतन वाले समूह 'क' पद को धारण करने वाले भारत सरकार के अधिकारी को यथा अनुज्ञेय भत्तों और फायदों को आहरित करने में हकदार होगे ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य को तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध आवास लेने का विकल्प होगा या निम्नलिखित के अधीन रहते हुए मकान किराए की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा—

(क) अधिकरण के अध्यक्ष की दशा में एक लाख पचास हजार रुपए प्रतिमास ; और

(ख) अधिकरण के सदस्य की दशा में एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास ।

10. वाहन भत्ता—अध्यक्ष या सदस्य शासकीय और निजी प्रयोजनों के लिए स्टाफ कार की सुविधा का उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो भारत सरकार का समान वेतन प्राप्त करने वाला समूह 'क' पदधारक अधिकारी को लागू होती है, हकदार होगा ।

अध्याय 5

पेंशन, भविष्य निधि, उपदान और छुट्टी

11. पेंशन, भविष्य निधि और छुट्टी--अधिकरण में की गई सेवा के लिए पेंशन, भविष्य निधि और छुट्टी अनुज्ञेय नहीं होगी ।

12. छुट्टी—(1) अध्यक्ष या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा ।

(2) किसी कैलेंडर वर्ष में अध्यक्ष और किसी सदस्य को आठ दिन से अनधिक आकस्मिक छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी ।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(4) अध्यक्ष या सदस्य उसके खाते में बकाया अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी नकदीकरण का इस शर्त के अधीन हकदार होगा कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम किसी भी दशा में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगी ।

(5) छुट्टी मंजूर करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे,--

(क) सदस्य के लिए अध्यक्ष ;

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के लिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार ।

(6) अध्यक्ष या सदस्यों की विदेश यात्रा के लिए केंद्रीय सरकार मंजूरी प्राधिकारी होगी ।

अध्याय 6

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां

13. अध्यक्ष की शक्तियां—अध्यक्ष निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा :--

(क) वित्तीय शक्ति नियम, 1978 का प्रत्यायोजन ;

(ख) साधारण वित्तीय नियम, 2017 ;

(ग) मूल नियम और अनुपूरक नियम ; और

(घ) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 ।

14. उपाध्यक्ष की शक्तियां—उपाध्यक्ष निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए सुसंगत राज्य न्यायपीठों हेतु अधिनियम की धारा 114 के अधीन उपबंधित अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा :--

(क) उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी न्यायपीठ के भीतर सदस्यों के बीच अपीलों का आबंटन ;

(ख) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एकल सदस्य द्वारा सुने जाने वाली अपीलों का विनिश्चय ;

(ग) उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य न्यायपीठों के बीच अपीलों का अंतरण ;

(घ) अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन मामलों को उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्य न्यायपीठ के भीतर किसी सदस्य को निर्दिष्ट करना ;

(ङ) ऐसी अन्य प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां, जो साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएं ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

15. वित्तीय और अन्य हितों का प्रकटन—अध्यक्ष या सदस्य पद ग्रहण करने से पूर्व अपनी आस्तियों और अपने दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा ।

16. सेवा की अन्य शर्तें—(1) अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगी, जो भारत सरकार के समान वेतन में समूह 'क' पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय होती हैं ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, अधिकरण में इन क्षमताओं में कार्य करते हुए कोई माध्यस्थम् कार्य हाथ में नहीं लेगा ।

(3) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करना समाप्त करते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा, जो अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार रहा है :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी प्राधिकरण या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निकाय या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन नियोजन के संबंध में लागू नहीं होगी ।

17. पद और गोपनीयता की शपथ—अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा ।

18. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह परिषद् की सिफारिशों पर आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

19. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उदभूत होता है तो परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप ।

(नियम 3 देखें)

[आवेदन के प्ररूप सहित रिक्ति परिपत्र का प्ररूप]

फा.सं..................................

भारत सरकार

....मंत्रालय

........................विभाग

****

रिक्ति परिपत्र

कमरा नं........नई दिल्ली-110001

तारीख ....

विषय : ....अधिकरण में अध्यक्ष/सदस्य के पदों के लिए चयन-संबंधी ।

****

1. अधिकरण :-- माल और सेवाकर अधिकरण, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अधीन स्थापित एक अपीलीय अधिकरण है जो अधिनियम के अधीन विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है । प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है और इसकी क्षेत्रीय न्यायपीठ.................में स्थित हैं । सदस्य को चयन के पश्चात् इनमें से किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है ।

2. रिक्ति :-- निम्नलिखित विद्यमान और.............. प्रत्याशित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं ।

पद	स्थान	रिक्ति की तारीख

3. अर्हता :-- अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, पात्रता, वेतन और नियुक्ति के अन्य निबंधन तथा शर्तें केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 और माल और सेवाकर अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2023 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

4. चयन की प्रक्रिया :-- केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 110 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन राज्य न्यायपीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) के पदों के लिए तथा उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए गठित खोज-सह-चयन समिति उक्त पद/पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगी और अभ्यर्थियों की अर्हता और अनुभव को समुचित महत्व देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की छानबीन करेगी और वैयक्तिक परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी । अर्हता, अनुभव और वैयक्तिक विचार-विमर्श के आधार पर समिति द्वारा व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा ।

5. आवेदन की प्रक्रिया :-- पात्र और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन उचित माध्यम (जहां कहीं लागू हों) द्वारा प्रस्तुत करने होंगे और जिसके साथ (i) उपाबंध-। पर दिए प्रारूप में जीवन-वृतांत, (ii) उपाबंध-।। में दिए गए नियोक्ता/कार्यालय अध्यक्ष/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र (iii) अधिकारी के अद्यतन सीआर/एपीएआर की स्पष्ट प्रतिलिपियां, जिनमें किसी समूह क अधिकारी द्वारा सम्यकत: प्रमाणित पिछले पांच वर्ष की सीआर/एपीएआर ; (iv) संवर्ग सतर्कता ; (v) उपाबंध-।।। में सतर्कता और अनुशासनिक दृष्टिकोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/निकासी ; (vi) पिछले दस वर्ष के दौरान अधिकारी पर अधिरोपित छोटी या बड़ी शास्तियों का विस्तृत विवरण, यदि कोई हो, संलग्न होने चाहिए जो निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाए जिससे इस कार्यालय ....में तक पहुंच जाए ।

[नाम और पता]

आवेदक, आनलाइन आवेदन (जहां लागू हो) करने के लिए होम पेज पर पहुंच हेतु https://.....................पर लॉग ऑन कर सकते हैं ।

6. साक्षात्कार/विचार-विमर्श हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा । अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

7. विज्ञापन और निर्धारित आवेदन प्रपत्र मंत्रालय/अधिकरण की वेबसाइट (वेबसाइट का नाम) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

8. अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त और उपरोक्त उल्लिखित आवश्यक उपाबंध के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सभी संगठनों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया जाए ताकि शीघ्र और ईष्टतम संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकें ।

(हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम)

अवर सचिव, भारत सरकार/निदेशक

उपाबंध-।

प्रारूप

अभ्यर्थी द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षर हेतु स्थान

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अना. :
4. पदनाम/व्यवसाय :
5. संपर्क विवरण :

	आवासीय		अधिकारिक
	वर्तमान	स्थायी	
पता :			
मोबाइल/फोन नं.			
ईमेल :			

6. संवर्ग/सेवा (जहां कहीं लागू हो)

7. शैक्षिक अर्हता (उत्क्रम कालानुक्रम में)

क्र .सं.	विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी/प्राप्त अंकों का प्रतिशत%	शैक्षणिक उपाधि	विषय/विशेषज्ञता

8. कार्य का अनुभव :

8क. वर्तमान रोजगार से आरंभ रते हुए, कालानुक्रम में कर्मचारी के रूप में अनुभव का रिकार्ड, उत्क्रम में बताएं :

(क) तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य) पद हेतु

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम और पता (सरकार/पीएसयू/मंत्रालय/विभाग/कोई अन्य	पदनाम, वेतन या वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में वेतन)	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/ अनुभव*	क्या उक्त सेवा समूह क या समूह क के समतुल्य की है
			…से	…तक		

*कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या उक्त कार्य में किसी विद्यमान विधि का प्रशासन (केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (48) में यथा परिभाषित) या तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) के पद के संबंध में केंद्रीय सरकार में माल और सेवाकर या कार्य में विद्यमान विधि का प्रशासन या माल या सेवाकर या तकनीकी सदस्य (राज्य) के पद के संबंध में राज्य सरकार में वित्त और कराधान के क्षेत्र अंतर्वलित है।

*कृपया यह भी विनिर्दिष्ट करें कि क्या उक्त कार्यों में न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य भी अंतर्वलित हैं।

(ख) अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के पद हेतु :

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम और पता (सरकार/ न्यायालय/ /कोई अन्य	पदनाम, वेतन या वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में वेतन)	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/ अनुभव*
			…से	…तक	

कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या उक्त कार्य में न्यायिक या अर्द्धन्यायिक/दांडिक/सिविल/कराधान/कंपनी कार्य/या कोई अन्य, जो लागू हो, अंतर्वलित है।

9. आवेदक का न्यायनिर्णयन अनुभव पर

आलेख (200 शब्दों में)

(जहां कहीं लागू हो)

10. उल्लेख करें :

(क) क्या तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) के पद हेतु केंद्रीय सरकार में किसी विद्यमान विधि या माल और सेवाकर में प्रशासन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है। हां/नहीं, यदि हां, उसके ब्यौरे दें।

(ख) क्या तकनीकी सदस्य (राज्य) के पद हेतु केंद्रीय सरकार में किसी विद्यमान विधि या माल और सेवाकर में प्रशासन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है। हां/नहीं, यदि हां, उसके ब्यौरे दें।

(ग) न्यायिक सदस्य के पद हेतु माल और सेवाकर विधि या किसी विद्यमान विधि के निर्वचन को अंतर्वलित करने वाले ऐसे मामलों को संभालने का कोई अनुभव

12. पांच मुख्य उपलब्धियों पर आलेख (प्रत्येक 200 शब्द) :

13. पुरस्कार/सम्मान/प्रकाशन, यदि कोई हो :

14. राजनीतिक दल सहित व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों/या किसी अन्य निकाय के साथ संबद्धता

15. कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, :

जिसका पद के लिए किए गए आवेदन के समर्थन में उल्लेख करना चाहें।

घोषणा

1. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णत: सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छिपाया/विरुपित नहीं किया गया है। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया /विरुपित किया गया है तो मेरी नियुक्ति किसी प्रकार के नोटिस के बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

2. मैं चयन समिति की बैठक के पश्चात् अपनी अभ्यर्थिता को वापस नहीं लूंगा।

3. यदि कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता हूँ तो मैं नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करूंगा, ।

4. मैं नियुक्ति के आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करूंगा।

5. मैं जानता हूं कि यदि मैं क्रम सं. 2 से क्रम सं. 4 में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करूंगा तो भारत सरकार द्वारा मुझे संवर्ग-बाह्य तथा किसी स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय या विनियामक निकाय में नियुक्ति हेतु विचार के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख :

उपाबंध ।।-

<u>नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी........................द्वारा दिया गया विवरण सही है तथा उनके पास उपाबंध-। में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और सीपीओ द्वारा संलग्न उपाबंध (।।।) में सतर्कता मंजूरी जारी की गई है।

3. उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गई है।

4. पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान श्री/श्रीमती/कुमारी..........................पर कोई गंभीर या मामूली शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है।

5. पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट / वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के नवीनतम साक्ष्यांकित फोटोस्टेट प्रतियां (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट / वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति साक्ष्यांकित होनी चाहिए) श्री/श्रीमती/कुमारी..........................के संबंध में इसके साथ संलग्न है।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

उपाबंध-।।।

उस अधिकारी का विवरण जिसके लिए सतर्कता निकासी मांगी जा रही है

(मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा विभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर सहित दिया जाना चाहिए)

1. अधिकारी का नाम (पूरा नाम) :

2. पिता का नाम :

3. जन्म तारीख :

4. अधिवर्षिता की तारीख :

5. सेवा में प्रवेश की तारीख :

6. अधिकारी किस सेवा से संबंधित है :
जिसमें बैच/वर्ष/संवर्ग आदि,
जहां कहीं लागू हो

7. धारित पद (पूर्ववर्ती दस वर्षों के दौरान) :

क्र .सं.	संगठन (पूरा नाम)	पदनाम और तैनाती का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/विभाग का नाम (पीएसयू आदि के अधिकारियों के मामले में)	से	तक

8. क्या अधिकारी को संदिग्ध सत्यनिष्ठा की सहमत सूची या अधिकारी सूची में रखा गया है (यदि हां, तो विवरण दिया जाए) :

9. क्या अधिकारी के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों के दौरान सर्तकता दृष्टि सहित किसी कदाचार के आरोप की जांच की गई है और यदि हां तो फैसला क्या था (*) :

10. क्या अधिकारी को पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंड दिया गया है, और यदि हां तो अधिरोपण की तारीख और शास्ति (*) के ब्यौरे :

11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई अनुशासनात्मक/ दांडिक कार्रवाई या चार्जशीट लंबित है (यदि हां, तो विवरण दें (*) :

12. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई कार्रवाई विचाराधीन है (यदि हां, तो विवरण दें (*) :

(*) यदि विगत में आयोग से सर्तकता निकासी प्राप्त की :

गई थी तो उसके पश्चात् की अवधि के लिए सूचना उपलब्ध करें।

तारीख :

(नाम और हस्ताक्षर)

प्ररूप ।।

(नियम 17 देखें)

अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, ए.बी., माल और सेवाकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं कि मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के अपनी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के अनुसार करूंगा/करूंगी।

प्ररूप ।।।

(नियम 17 देखें)

अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं, ए.बी., माल और सेवाकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं कि मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता/लेती हूं कि अपील अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

[फा. सं. ए-50050/69/2023-सीईएसटीएटी-डीओआर]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2023

G.S.R.793(E).— In exercise of the powers conferred by section 110 read with section 164 of the Central Goods And Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Appointment and Conditions of Service of President and Members) Rules, 2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Appointment and Conditions of Service of President and Members) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the President, Judicial Member, Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the Principal Bench and State Bench of Goods and Services Tax Appellate Tribunal.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Central Goods And Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);

(b) "Committee" means the Search-cum-Selection Committee constituted under clause (a) or clause (b) of sub-section (4) of section 110 of the Act;

(c) "Form" means a Form appended to these rules;

(d) "Member" means a Technical Member (Centre) or Technical Member (State) or Judicial Member of the

Goods and Services Tax Appellate Tribunal;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) "Tribunal" means Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under section 109 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

APPOINTMENT OF PRESIDENT AND MEMBER

3. Selection for posts of President and Members—

(1) The Committee may cause a vacancy circular to be issued through the Member-Secretary, giving details of the posts of Members proposed to be filled up, including the following—

(a) number of existing and anticipated vacancies;

(b) qualifications;

(c) salary and allowances;

(d) format for application; and

(e) last date for filing of applications,

in Form-I after making such modifications as may be deemed fit by the Committee.

(2) The Committee shall scrutinise, or cause to be scrutinised, every application received in response to the circular, against the qualifications and may shortlist such number of eligible candidates for personal interaction as it may deem fit.

(3) For the post of President, the Committee may, either cause a vacancy circular to be issued and call for applications or search for suitable persons eligible for appointment and make an assessment for selection to the post of President.

(4) The Committee shall make its recommendations based on the overall assessment of eligible candidates including assessment through the personal interaction after taking into account the suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicating and experience keeping in view the requirements of the Tribunal and shall recommend a panel of two names for every post for which selection is being done in accordance with the provisions ofsub – section (6) of section 110 of the Act.

4. Selection for re - appointment.— (1) An application for re-appointment shall be considered in the same manner as that for the original appointment, along with the applications of all other persons in response to the vacancy circular.

(2) While making its assessment for suitability to a post, the Committee shall give additional weightage to persons seeking re-appointment on the basis of their experience in the Tribunal and while doing so, shall take into account, the performance of the person while working as a President or Member in the Tribunal.

5. Medical fitness of President and Members.—(1) No person shall be appointed as President, Judicial Member or Technical Member (Centre) of the Principal Bench or the State Bench of the Tribunal or as Technical Member (State) of the Principal Bench unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

(2) No person shall be appointed as Technical Member (State) of the State Bench of the Tribunal unless he is declared medically fit by an authority specified in this behalf by the State in which the said State Bench is located.

6. Retirement from parent service on appointment as President or Member.— Where, the person appointed as President or Member is a serving Judge of the Supreme Court or a High Court or a serving Member of an organised Service, he shall either resign or obtain voluntary retirement before joining the Tribunal.

CHAPTER III

REMOVAL OF PRESIDENT OR MEMBER

7. Procedure for inquiry into complaints.— (1) Where a written complaint alleging any definite charge of the nature referred to in sub-section (12) of section 110 of the Act in respect of President or Member is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) Where, on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any allegation referred to in sub-rule (1), it shall make a reference to the concerned Committee.

(3) The said Committee shall conduct an inquiry or cause an inquiry to be conducted by a person who is, or has been, a -

(a). Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, where the inquiry is against the President; or

(b). Judge of a High Court, where the inquiry is against a Member.

(4) The inquiry shall be completed within such time or such further time as may be specified by the Central Government preferably within six months.

(5) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(6) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure,1908 (5 of 1908) but shall be guided by\ the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

CHAPTER IV

SALARY AND ALLOWANCES

8. Salary.— (1) The President of the Tribunal shall, be paid a salary of rupees two lakh fifty thousand (fixed) per month.

(2) The Member shall be paid a salary of rupees two lakh twenty- five thousand per month.

(3) In case, a person appointed as the President, or Member, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

9. Allowances.— (1) The President and Member shall be entitled to draw allowances and benefits as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the President or Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or shall be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of -

(a) rupees one lakh fifty thousand per month in case of President of the Tribunal; and

(b) rupees one lakh twenty-five thousand per month in case of Members of the Tribunal.

10. Transport allowance.— The President, or a Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes at the same terms and conditions as applicable to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

CHAPTER V

PENSION, PROVIDENT FUND, GRATUITY AND LEAVE

11. Pension, Provident Fund and Gratuity.— Pension, Provident Fund and gratuity shall not be admissible for the service rendered in the Tribunal**.**

12. Leave.- (1) The President or Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the President and a Member in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The President or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of

retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules,1972.

(5) Leave sanctioning authority for-

(a). Member, shall be the President;

(b). President or Member in case of absence of President, shall be the Central Government.

(6) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the President and Members.

CHAPTER VI

POWERS OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

13. Powers of President.- The President shall exercise the powers of Head of the Department for the purpose of:-

(a) Delegation of Financial Power Rules, 1978;

(b) General Financial Rules, 2017;

(c) Fundamental Rules and Supplementary Rules; and

(d) Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

14. Powers of Vice-President: - The Vice-President shall exercise the powers of the President provided under section 114 of the Act for the relevant State Benches for the purpose of:-

(a) allocation of appeals amongst members within a bench under his jurisdiction;

(b) deciding the appeals to be heard by Single Member as per provisions of the Act;

(c) transfer of appeals amongst the State Benches within his jurisdiction;

(d) refer cases under clause (a) of sub-section (9) of section 109 of the Act to a Member in a State Bench within his jurisdiction;

(e) such other administrative and financial powers as may be assigned by the President by a general or special order.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

15. Declaration of Financial and other Interests.— The President or the Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

16. Other conditions of service.— (1)The terms and conditions of service of a President or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(2) The President, or Member shall not undertake any arbitration assignment while functioning in these capacities in the Tribunal.

(3) The President, or Member of the Tribunal, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

17. Oath of office and secrecy. — Every person appointed to be the President, or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form II and Form III annexed to these rules.

18. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, on the recommendations of the Council, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon, on the recommendations of the Council, shall be final

FORM I

(See rule 3)

[Format for vacancy circular including the format for application]

F. No.____.

Government of India

Ministry of____.

Department of_________________.

****

Vacancy Circular

Room No.___________New Delhi-110001

Dated, the______

Subject: - Selection for the posts of President/Member in______________________________Tribunal-reg.

*****

1. **Tribunal: -** The Goods and Services Tax Appellate Tribunal is an Appellate Authority established under the Central Goods And Services Tax Act, 2017__to hear various appeals under the ______________Act, .Principal Bench is situated at New Delhi______________ and its state Benches are situated at____________ .A Member, upon selection, may be posted at any of these places.

2. **Vacancy: -** Applications are being invited for the following existing and__________________anticipated vacancies:

Post	Place	Date of Vacancy

3. **Qualification:-** The qualifications, eligibility, salary and other terms and conditions of the appointment of a candidate will be governed by the provisions of the of Central Goods And Services Tax Act, 2017 and Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Appointment and Conditions of Service of President and Members) Rules, 2023.

4. **Procedure for selection: -** The Search-Cum-Selection Committee constituted under the clause (a) of sub-section 4 of section 110 for the posts of Technical Member (State) of the State Bench and under clause (b) of sub-section (4) of the said section of Central Goods And Services Tax Act, 2017 for the posts of President and other Members shall recommend names for appointment to the said post/s and shall scrutinise the applications with respect to suitability of application for the posts by giving due weightage to qualification and experience of candidates and shortlist candidates for conducting personal interaction. The final selection will be done on the basis of overall evaluation of candidates done by the Committee based on the qualification, experience and personal interaction.

5. **Application Procedure:-** Applications by eligible and willing officers are to be submitted through proper channel(wherever applicable) and should be accompanied with (i) bio-data in the proforma at Annexure-I (ii) Certificate to be furnished by the employer/ head of office/ forwarding authority as in Annexure-II (iii) clear photocopies of the up-to-date CR/APAR dossier of the officer containing CR/APARs of at least last five years duly attested by a Group A officer (iv) cadre clearance (v) integrity certificate/clearance from vigilance and disciplinary angle as in Annexure-III (vi) statement giving details of major or minor penalties, if any, imposed on the officer during the last ten years, to the following address, so as to reach this office latest by.—

[Name and Address]

Applicants can Log on to https://...to access the home page of the Online Application to apply (wherever applicable).

6. No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/interaction. The candidates are required to make own arrangements.

7. Advertisement and Prescribed application form can be downloaded from Ministry's/Tribunals website (name of the website)____.

8.Any application received after due date or without necessary Annexure as mentioned above will not be entertained.

Wide publicity may be given in all organizations and their field formations to facilitate early and optimum number of application.

(Name of the Signing Officer)

Under Secretary to the Govt. of India/Director

Annexure-I

PROFORMA

Space for photograph duly signed by candidate

Name :

1. Name

2. Date of Birth :

3. Category (SC/ST/OBC/UR) :

4. Designation/Profession :

5. Contact Details :

	Residential		Official
	Present	Permanent	
Address:			
Mobile/Phone No.			
Email:			

6. Cadre/Service [Wherever applicable] :

7. Educational qualification (in reverse chronological order):

Sl. No.	Name of University/ EquivalentInstitution	Degree	Year of passing	Division/ % of marks obtained	Academic Distinction	Subject/ Specialization

8 Work Experience:

8A. For the experience as employee, Employment record in chronological order starting with presentEmployment, list in reverse:

(a) For the post of Technical Member (Centre) and Technical Member (State) .

Sl. No.	Name & address of employer (Govt./PSU/Ministry/	Designation, Pay or Scale of pay (Pay in Pay Matrix)	Period of Service	Nature of work/ experience*	Whether the said service is Group A or equivalent to Group A

	Department/any other		From	To		

* Please specify whether the said work involves administration of an existing law (as defined in clause (48) of section (2) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017) or the goods and services tax in the Central Government in respect of post of Technical Member (Centre) or whether the work involves administration of an existing law or the goods and services tax or in the field of finance and taxation in the State Government in respect of post of Technical Member (State).

Also specify whether the said works involves judicial/ quasi-judicial functions.

(b) For the post of President and Judicial Member

Sl. No.	Name & address of employer (Govt./Court/any other	Designation, Pay or Scale of pay (Pay in Pay Matrix)	Period of Service		Nature of work/ experience*
			From	To	

• Please specify whether the said work involves Judicial or Quasi-Judicial /Criminal/Civil /Taxation /Company Affairs/or any other as may be applicable.

8. Write up on adjudicating experience

:of the applicant (200 words)

[Wherever applicable]

9. Mention :

a. Whether minimum three years of experience is there : (Yes/No. If yes, provide details thereof)

in the administration of an existing law or goods and

services tax in the Central Government for the post of

Technical Member (Centre)

b.Whether minimum three years of experience is there : (Yes/No. If yes, provide details thereof)

in the administration of an existing law or goods and

services tax or in the field of finance and taxation

in the State Government for the post of

Technical Member (State)

c. Any experience in handling such cases involving : (Brief Writeup)

interpretation of goods and services tax law or an

existing law for the posts of Judicial Member

12. Write up on 05, major achievement

:(200 words each)

13.Awards/honours/Publications, if any :

14.Affiliation with the professional bodies/

:Institutions/societies/or any other body

Including political party.

15.Additional information, if any, which :

You would like to mention in support of the application for the post.

DECLARATION

1. I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of knowledge and belief and nothing has been concealed/distorted. If at any time I found to have concealed/distorted any material information; my

appointment shall be liable to summary termination without notice.

2. I shall not withdraw my candidature after the meeting of the Selection Committee.

3. I shall not decline the appointment, if selected for appointment by the Appointment Committee of Cabinet.

4. I shall join within 30 days from the date of issue of order of appointment.

5. I am aware that in case I violate any of the conditions mentioned at SI.No.2 to 4, the Government of India is likely to debar me for a period of three years for consideration for appointment outside the cadre and in any Autonomous Body/Statutory Body/Regulatory Body.

Date
Place

Signature of the Candidate

Annexure-II

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYER/HEAD OF OFFICE/FORWARDING AUTHORITY

1. Certified that the particular furnished by Shri/Smt/Kum are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in Annexure-I.

2. It is also certified that there is no vigilance/ disciplinary case either pending or being contemplated against him/her and vigilance clearance issued by competent Authority in the enclosed Annexure (III).

3. His/her integrity is certified.

4. No major or minor penalty was imposed on Shri/Smt/Kum during the last 10 years period.

5. The up-to-date attested Photostat copies of Annual Confidential Report/Annual Performance Appraisal Report of last 5years (each Photostat copy of Annual Confidential Report/Annual Performance Appraisal Report should be attested) in respect of Shri/Smt/Kum--are enclosed herewith.

Seal & Signature of the cadre controlling Authority

Annexure-III

PARTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE CLEARANCE IS BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the competent authority or HOD)

1. Name of the Officer (in full) :

2. Father's name :

3. Date of Birth :

4. Date of Retiremen :

5. Date of entry into service :

6. Service to which the officer belongs including batch /year/ cadre etc. , wherever applicable :

7. Positions held (During ten preceding years) :

S. No	Organisation (name in full)	Designation & Place of Posting	Administrative/Nodal Ministry/ Department concerned(in case of officers of PSUs etc.)	From	To

8. Whether the officer has been placed on the agreed list or list of Officer of Doubtful Integrity (if yes, details to be given) :

9. Whether any allegation of misconduct :
Involving vigilance angle was

examinedagainst the officer
during the last 10 Years and if so
with what result (*)

10. Whether any punishment was awarded to
the officer during the last 10 years and if
so, the date of imposition and details ofpenalty (*) :

11. Is any disciplinary/ criminal proceedings
or charge sheet pending against the
officer as on date (if so, details to be furnished) :

12. Is any action contemplated against the :
Officer as on date (if so,
details to befurnished (*)

(*) If vigilance clearance had been obtained in the past, the information may be providedfor the period thereafter,

Date:

(NAME AND SIGNATURE)

FORM II

(See rule 17)

Form of Oath of Office for President/ Member

I, A. B., having been appointed as President/Member of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal, do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/ Member of the Appellate Tribunal to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will.

FORM III

(See rule 17)

Form of Oath of Secrecy for President/Member

I, A. B., having been appointed as the President/Member of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal, do solemnly affirm/do swearin the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/ Member of the Appellate Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

[F. No A-50050/69/2023-CESTAT-DOR]

MANOJ KUMAR SINGH, Director.

SAG INFOTECH service begins here....

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2023.10.26 16:32:58 +05'30'